राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद प्रकरण संख्या :– 33/2020

निर्णय दिनांक :– 25.01.2021

वादी :–

हिरालाल पुत्र मुलाराम चौधरी आयु–53 वर्ष जाति–सिरवी चौधरी निवासी–नाडोल तहसील–देसूरी जिला–पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. हकाराम उर्फ हकाराम एम चौधरी पुत्र स्व. मुलाराम आयु–73 वर्ष
2. शेषाराम पुत्र मुलाराम चौधरी आयु–53 वर्ष
   जातिगण–सिरवी चौधरी निवासीगण–नाडोल तहसील–देसूरी जिला–पाली
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी

वाद अन्तर्गत धारा 53, 89, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1. श्री दिनेश कुमार माली अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. श्री पुखराज चौधरी प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 की ओर से।

निर्णय (अन्तिम डिक्री) **दिनांकः– 25.01.2021**

वाद के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 89, 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम नाडोल–1 तहसील–देसूरी की जमाबन्दी खाता संख्या 829 संवत् 2073–2076 के खसरा नम्बर 590 क्षेत्रफल 03.3400 हैक्टर बारानी अव्वल कुल खसरा–1 कुल क्षेत्रफल–03.3400 हैक्टर कुल देय लगान 23.38 रूपये की आराजी में शेषाराम द्वारा हकाराम, हिरालाल के पक्ष में दिनांक 24.06.2020 को अपने सम्पूर्ण हक में से 2/3 हिस्सा बख्शिश कर दस्तावेज उप पंजीयन कराने से वादी और प्रतिवादी को बहिस्सा बराबर–बराबर के खातेदारी [illegible] अधिकार विद्यमान है।

यह है कि वाद पद संख्या [illegible] प्रतिवादी संख्या एक को सयुक्त 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या [illegible] के खातेदारी हक अधि[illegible] निहित

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.13 18:42:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

पेज लगातार 02 पर...

क्रमश पेज (2) राजस्व वाद मु0सं0– 33/2020 वादीग हिरालालव अन्य बनाम प्रतिवादीगण हकाराम व अन्य अन्तर्गत धारा–53, 89, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलेक्टर, देसूरी.

है। वादग्रस्त आराजी का वादी और प्रतिवादी के मध्य में आपसी सहमति से मौके पर विभाजन किया जाकर अलग–अलग कब्जा प्राप्त कर माफिक विभाजन सहमति से बंटवाडा निम्नानुसार किया गया–

क्र. स.	पक्षकार	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	किस्म
1	वादी हिरालाल	590/1	0.1700	बा.अ.
2	प्रतिवादी हकाराम	590/2	1.0000	बा.अ
3	प्रतिवादी शेषाराम	590	1.1700	बा.अ.

उपरोक्त अनुसार किये गये बंटवाडा और नक्शा की प्रतिलिपी पेश है। दिनांक 06.07.2020 को वादग्रस्त आराजी का किया गया विभाजन को स्वीकृत कराने और भू–अधिकार अभिलेखों में इन्द्राज कराने हेतु प्रतिवादी को बार बार निवेदन करने पर भी एक साथ तहसीलदार देसूरी के समक्ष उपस्थित नही हो रहे है जिससे वादी विभाजन का वाद प्रस्तुत करने के अतिरिक्त विकल्प नही होने से वादग्रस्त आराजी के बंटवाडा बाबत यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है।

प्रकरण हाजा में दिनांक 04.09.2020 को न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जाकर प्राथमिक डिक्री इस आशा की जारी की गई कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम नाडोल–1 तहसील–देसूरी की जमाबन्दी खाता संख्या 829 संवत् 2073–2076 के खसरा नम्बर 590 क्षेत्रफल 03.3400 हैक्टर बारानी अव्वल कुल खसरा–1 कुल क्षेत्रफल–03.3400 हैक्टर कुल देय लगान 23.38 रूपये का वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य दिनांक 06.07.2020 को हुए सहमति के अनुसार वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादीगण का 2/3 हिस्से का खातेदार घोषित कर बंटवाडा किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार देसूरी को सहमति बंटवाडा दिनांक 06.07.2020 मय नक्शा की प्रति भेजकर आदेशित किया जाता है कि उक्त वादग्रस्त आराजी का वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य सहमति से हुए बंटवाडा के अनुसार बंटवाडा प्रस्ताव मय नक्शा के इस न्यायालय में दो प्रतियो में भिजवावे।

तहसीलदारजी, देसूरी पत्राक/राजस्व/20/58 दिनांक 18.01.2020 के द्वारा प्रस्तावित बंटवाडा प्रस्ताव रिर्पोट मय नक्शा के पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई। बंटवाडा प्रस्ताव के संबंध में पक्षकारान की तरफ से कोई आपत्ति एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बंटवाडा प्रस्ताव रिर्पोट का अवलोकन किया। माफीक बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार वाद अंतिम डिक्री योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.13 18:42:18 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 03 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

क्रमश पेज (3) राजस्व वाद मु0सं0– 33/2020 वादीग हिरालालव अन्य बनाम प्रतिवादीगण हकाराम व अन्य अन्तर्गत धारा–53, 89, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलेक्टर, देसूरी.

आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम नाडोल–1 तहसील–देसूरी की जमाबन्दी खाता संख्या 829 संवत् 2073–2076 के खसरा नम्बर 590 क्षेत्रफल 03.3400 हैक्टर बारानी अव्वल कुल खसरा–1 कुल क्षेत्रफल–03.3400 हैक्टर कुल देय लगान 23.38 रूपये का माफीक तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत बटवाडा प्रस्ताव व उसके सलंग्न नक्शानुसार वाद में अन्तिम डिक्री निम्न प्रकार सादिर की जाती हैः–

क्र. स.	पक्षकार	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हैक्टर)	लगान	किस्म
1	वादी हिरालाल पुत्र मूलाराम सिरवी चौधरी सा. देह खातेदार	590/1	1.1700	8.19	बा.अ.
2	प्रतिवादी हकाराम पुत्र मूलाराम सिरवी चौधरी सा. देह खातेदार	590/2	1.000	7.00	बा.अ
3	प्रतिवादी शेषाराम पुत्र मूलाराम सिरवी चौधरी सा. देह खातेदार	590	1.17	8.19	बा.अ.

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद एवं नक्शें में तरमीम किया जावें। । तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा इस निर्णय एवं डिक्री का भाग माना जावें। कुल लगान राशि 8.19 रूपयें का पांच गुना पर देय मुद्रांक के बतौर रूपयें 40.95/– के नोन ज्यूडिश्यल स्टाम्प वादी पेश करें। अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो। रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु निर्णय एवं अंतिम डिक्री पर्चा की एक प्रति तहसीलदार देसूरी को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली फेसल शुमार होकर संख्या से कम हों।

सहायक कलेक्टर
देसूरी

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (बाली)

निर्णय आज दिनांक 25.01.2021 को खुले न्यायालय में इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
देसूरी

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (बाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2021.04.13 18:42:18 IST
Reason: SelfAttested